



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2019/00227

दर्ज तिथि:-28.08.2019

1. मगा पुत्र केहरा
जाति जाट निवासी माछरों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. राणाराम पुत्र विंजाराम
2. चनणीदेवी पत्नी विंजाराम
3. मिसरा पुत्र केहरा
4. नेना पुत्र केहरा
5. मांगाराम पुत्र खेमाराम
6. नगाराम पुत्र खेमाराम
7. डालुराम पुत्र खेमाराम
8. धुडीदेवी पत्नी खेमाराम
9. प्रकाश पुत्र नरसिंगाराम
10. दिलीप पुत्र नरसिंगाराम
11. तुलसीदेवी पत्नी नरसिंगाराम
12. हड्डमानराम पुत्र घमण्डाराम
जाति जाट निवासी माछरों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।
13. खेतु पुत्री प्रभुराम
14. अणसी पुत्री प्रभुराम
15. सुआ पुत्री भीयाराम
16. पुनी (पूनम) पुत्री भीयाराम
जाति जाट निवासी बावतलाई तहसील चौहटन
17. उदाराम पुत्र मानाराम
18. लुम्भाराम पुत्र मानाराम
19. हीराराम पुत्र मानाराम
20. गेनाराम पुत्र मानाराम
21. चुनाराम पुत्र मोडाराम
22. दानाराम पुत्र मोडाराम
23. पांचाराम पुत्र मोडाराम
24. भैराराम पुत्र घमण्डाराम
25. भारूराम पुत्र घमण्डाराम
26. रूखमो पत्नी घमण्डाराम



27. वाली पत्नी प्रभुराम

28. किसनाराम पुत्र ताजाराम

जाति जाट निवासी माछरों की ढाणी पीपराली तहसील गुडामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

29. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा गुडामालानी

30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादीगण:- श्री हरीश चौधरी।

प्रतिवादी:- श्री डालूराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 88,53,188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-28.10.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88,53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 111/2/2.00 बीघा, 111/27.15 बीघा, 106/13.19 बीघा, 228/68.03 बीघा, 547/41.19 बीघा, 229/144.19 बीघा, 242/0.01 बीघा, 243/0.18 बीघा, 244/121.13 बीघा, 244/2/4.00 बीघा, 245/0.01 बीघा, 246/0.01 बीघा, 247/8.08 बीघा, 248/0.17 बीघा वाके ग्राम जेठाणी माछरों की ढाणी पटवार मण्डल पीपराली, संयुक्त आराजी खसरा संख्या 612/43.09 बीघा वाके ग्राम पीपराली जिला बाडमेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 04, 06 ता 12, 21 ता 26 एवं 28 हाजा न्यायालय में

असालतन-वकालतन उपस्थित हुए एवं शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 ता 04, 06 ता 12, 21 ता 26 एवं 28 के अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर माफिक हक हिस्सा भूमि की गुणवत्ता एवं आवागमन की सुविधा एवं वर्तमान कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाने की सहमति दी। जिस पर वकील वादी ने सहमति दिये जाने पर दिनांक 12.02.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू-धारक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1755 दिनांक 30.07.2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1755 दिनांक 30.07.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 22.04.2024 को तहसीलदार गुडामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुडामालानी के नोटिस क्रमांक/2024/189-219, 11-18 दिनांक 21.03.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 22.04.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुडामालानी के नोटिस क्रमांक/2024/189-219, 11-18 दिनांक 21.03.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 22.04.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक

अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 111/2/2.00 बीघा, 111/27.15 बीघा, 106/13.19 बीघा, 228/68.03 बीघा, 547/41.19 बीघा, 229/144.19 बीघा, 242/0.01 बीघा, 243/0.18 बीघा, 244/121.13 बीघा, 244/2/4.00 बीघा, 245/0.01 बीघा, 246/0.01 बीघा, 247/8.08 बीघा, 248/0.17 बीघा वाके ग्राम जेठाणी माछरों की ढाणी पटवार मण्डल पीपराली, संयुक्त आराजी खसरा संख्या 612/43.09 बीघा वाके ग्राम पीपराली जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामिली कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर

व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 111/2/2.00 बीघा, 111/27.15 बीघा, 106/13.19 बीघा, 228/68.03 बीघा, 547/41.19 बीघा, 229/144.19 बीघा, 242/0.01 बीघा, 243/0.18 बीघा, 244/121.13 बीघा, 244/2/4.00 बीघा, 245/0.01 बीघा, 246/0.01 बीघा, 247/8.08 बीघा, 248/0.17 बीघा वाके ग्राम जेठाणी माछरों की ढाणी पटवार मण्डल पीपराली, संयुक्त आराजी खसरा संख्या 612/43.09 बीघा वाके ग्राम पीपराली जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
राणाराम पुत्र वीजाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे गुडामालानी	1/2	106	0.2822	बा.दो.
चनणीदेवी पत्नी वीजाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे गुडामालानी	1/2	111	0.6020	बा.दो.
		612	2.1094	बा.दो.
		229	5.45	बा.दो.
किता 04 रकबा 8.4436 हैक्टेयर				

मिसराराम पुत्र केहराराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे गुड़ामालानी (ख.सं. 228, 106 बिना रहन)	पूर्ण	106	0.2822	बा.सो.
		111	0.6020	बा.दो.
		228	2.000	बा.दो.
		244	1.7500	बा.दो.
		244	1.6400	बा.दो.
		244	1.5405	बा.दो.
		244 / 2	0.0939	बा.दो.
		244 / 6	0.5350	बा.दो.
किता 08 रकबा 8.4436 हैक्टेयर				
नेनाराम पुत्र केहराराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे गुड़ामालानी (ख.सं. 106, 612 बिना रहन)	पूर्ण	106	0.2822	बा.दो.
		111	0.6020	बा.दो.
		612	1.5300	बा.दो.
		229	6.0294	बा.दो.
किता 04 रकबा 8.4436 हैक्टेयर				
मगाराम पुत्र केहराराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे गुड़ामालानी (ख.सं. 228 बिना रहन)	पूर्ण	106	0.8468	बा.सो.
		111	0.6020	बा.दो.
		228	1.7605	बा.दो.
		244	0.8600	बा.दो.
		244	1.4707	बा.दो.
		244	1.4200	बा.दो.
		244 / 2	0.0356	बा.दो.
		244 / 5	0.3885	बा.दो.
		244 / 6	0.1619	बा.दो.
		245	0.0081	गै.मु.बेरा
		246	0.0081	गै.मु.
247	1.3087	चा.चार		
248	0.1376	बा.दो.		
किता 13 रकबा 9.0085 हैक्टेयर				
डालूराम पुत्र खेमराम जाति जाट	1 / 5	106	0.5647	बा.दो.
नगाराम पुत्र खेमराम जाति जाट	1 / 5	111	0.8802	बा.दो.
मांगाराम पुत्र खेमराम जाति जाट	1 / 5	111 / 2	0.3237	बा.दो.
धूडीदेवी पत्नी खेमराम जाति जाट सा. देह	1 / 5	547	3.8566	बा.दो.
		228	2.2549	बा.सो.
दिलीप पुत्र नरसिंगाराम जाति जाट	1 / 15	242	0.0081	गै.मु.बेरा
		243	0.1457	गै.मु.ढाणी
प्रकाश पुत्र नरसिंगाराम जाति जाट	1 / 15	244	2.7800	बा.दो.
		244	0.7300	बा.दो.
तुलछी देवी पत्नी नरसिंगाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	1 / 15	244	3.8063	बा.दो.
		244 / 2	0.5180	बा.दो.
		244 / 6	1.0190	बा.दो.
किता 12 रकबा 16.8872 हैक्टेयर				

अणसी पुत्री प्रभुराम जाति जाट सा. देह रहन बीसीसीबी गुड़ामालानी रहन ख.सं. 111 एसबीबीजे गुड़ामालानी	1/4			
खेतु पुत्री प्रभुराम जाति जाट सा. देह खातेदार	1/4	111	1.2038	बा.दो.
हनुमान पुत्र घमंडाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	1/4	229	2.4250	बा.दो.
		229	9.0592	बा.दो.
पूनी पुत्री भीयाराम जाति जाट सा. बावतलाई चोहटन खातेदार	1/8			
सुआ पुत्री भीयाराम जाति जाट सा. बावतलाई चोहटन खातेदार	1/8			
किता 03 रकबा 12.6880 हैक्टेयर				
अणसी पुत्री प्रभुराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन बीसीसीबी गुड़ामालानी	1/4			
खेतु पुत्री प्रभुराम जाति जाट सा. देह खातेदार	1/4			
वाली पत्नी प्रभुराम जाति जाट सा. देह खातेदार	1/4	612	3.3455	बा.दो.
		228	0.2888	बा.सो.
पूनी पुत्री भीयाराम जाति जाट सा. बावतलाई चौहटन खातेदार	1/8			
सुआ पुत्री भीयाराम जाति जाट सा. बावतलाई चौहटन खातेदार	1/8			
किता 02 रकबा 3.6343 हैक्टेयर				
किशनाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	पूर्ण	228	1.5759	बा.सो.
किता 01 रकबा 1.5759 हैक्टेयर				
दाना पुत्र मोडाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	1/6			
चूनाराम पुत्र मोडाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	1/6			
पांचाराम पुत्र मोडाराम जाति जाट सा. देह	1/6	228	3.1516	बा.सो.
भेरा पुत्र घमंडा	1/6			
भारु पुत्र घमंडा	1/6			
रुखमो पत्नी घमंडा जाति जाट सा. देह खातेदार	1/6			
किता 01 रकबा 3.1516 हैक्टेयर				
उदाराम पुत्र मानाराम	1/12			
गेनाराम पुत्र मानाराम	1/12			
लूम्वाराम पुत्र मानाराम	1/12	547	2.9340	
हीराराम पुत्र मानाराम	1/12			

भेराराम पुत्र घमंडाराम	1/9			
भारूराम पुत्र घमंडाराम	1/9			
रूखमों पत्नी घमंडाराम	1/9			
कमला पत्नी भेराराम	10/181			
चूनाराम पुत्र मोडाराम	151/1629			
दानाराम पुत्र मोडाराम	151/1629			
पांचाराम पुत्र मोडाराम सा. देह खातेदार	151/1629			
किता 01 रकबा 2.9340 हैक्टेयर				
ग्राम पीपराली मूल खाता 72 बदस्तूर		612	0.0485	रास्ता
ग्राम माछरों की ढाणी मूल खाता 59 बदस्तूर		229	0.500	रास्ता
		244	0.1493	
		244	0.3967	
		247	0.0510	
किता 04 रकबा 1.0970 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2019/00227

दर्ज तिथि:-28.08.2019

1. मगा पुत्र केहरा
जाति जाट निवासी माछरों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. राणाराम पुत्र विंजाराम
2. चनणीदेवी पत्नी विंजाराम
3. मिसरा पुत्र केहरा
4. नेना पुत्र केहरा
5. मांगाराम पुत्र खेमाराम
6. नगाराम पुत्र खेमाराम
7. डालुराम पुत्र खेमाराम
8. धुडीदेवी पत्नी खेमाराम
9. प्रकाश पुत्र नरसिंगाराम
10. दिलीप पुत्र नरसिंगाराम
11. तुलसीदेवी पत्नी नरसिंगाराम
12. हड्डमानराम पुत्र घमण्डाराम
जाति जाट निवासी माछरों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।
13. खेतु पुत्री प्रभुराम
14. अणसी पुत्री प्रभुराम
15. सुआ पुत्री भीयाराम
16. पुनी (पूनम) पुत्री भीयाराम
जाति जाट निवासी बावतलाई तहसील चौहटन
17. उदाराम पुत्र मानाराम
18. लुम्भाराम पुत्र मानाराम
19. हीराराम पुत्र मानाराम
20. गेनाराम पुत्र मानाराम
21. चुनाराम पुत्र मोडाराम
22. दानाराम पुत्र मोडाराम
23. पांचाराम पुत्र मोडाराम
24. भैराराम पुत्र घमण्डाराम
25. भारूराम पुत्र घमण्डाराम
26. रूखमो पत्नी घमण्डाराम

27. वाली पत्नी प्रभुराम

28. किसनाराम पुत्र ताजाराम

जाति जाट निवासी माछरों की ढाणी तहसील गुडामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

29. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा गुडामालानी

30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादीगण:- श्री हरीश चौधरी।

प्रतिवादी:- श्री डालूराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 88,53,188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 111/2/2.00 बीघा, 111/27.15 बीघा, 106/13.19 बीघा, 228/68.03 बीघा, 547/41.19 बीघा, 229/144.19 बीघा, 242/0.01 बीघा, 243/0.18 बीघा, 244/121.13 बीघा, 244/2/4.00 बीघा, 245/0.01 बीघा, 246/0.01 बीघा, 247/8.08 बीघा, 248/0.17 बीघा वाके ग्राम जेठाणी माछरों की ढाणी पटवार मण्डल पीपराली, संयुक्त आराजी खसरा संख्या 612/43.09 बीघा वाके ग्राम पीपराली जिला बाड़मेर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
राणाराम पुत्र वीजाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे गुडामालानी	1/2	106 111	0.2822 0.6020	बा.दो. बा.दो.
चनणीदेवी पत्नी वीजाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन	1/2	612 229	2.1094 5.45	बा.दो. बा.दो.

एसबीबीजे गुड़ामालानी				
किता 04 रकबा 8.4436 हैक्टेयर				
मिसराराम पुत्र केहराराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे गुड़ामालानी (ख.सं. 228, 106 बिना रहन)	पूर्ण	106	0.2822	बा.सो.
		111	0.6020	बा.दो.
		228	2.000	बा.दो.
		244	1.7500	बा.दो.
		244	1.6400	बा.दो.
		244	1.5405	बा.दो.
		244 / 2	0.0939	बा.दो.
		244 / 6	0.5350	बा.दो.
किता 08 रकबा 8.4436 हैक्टेयर				
नेनाराम पुत्र केहराराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे गुड़ामालानी (ख.सं. 106, 612 बिना रहन)	पूर्ण	106	0.2822	बा.दो.
		111	0.6020	बा.दो.
		612	1.5300	बा.दो.
		229	6.0294	बा.दो.
किता 04 रकबा 8.4436 हैक्टेयर				
मगाराम पुत्र केहराराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे गुड़ामालानी (ख.सं. 228 बिना रहन)	पूर्ण	106	0.8468	बा.सो.
		111	0.6020	बा.दो.
		228	1.7605	बा.दो.
		244	0.8600	बा.दो.
		244	1.4707	बा.दो.
		244	1.4200	बा.दो.
		244 / 2	0.0356	बा.दो.
		244 / 5	0.3885	बा.दो.
		244 / 6	0.1619	बा.दो.
		245	0.0081	गै.मु.बेरा
		246	0.0081	गै.मु.
		247	1.3087	चा.चार
248	0.1376	बा.दो.		
किता 13 रकबा 9.0085 हैक्टेयर				
डालूराम पुत्र खेमराम जाति जाट	1 / 5	106	0.5647	बा.दो.
नगराम पुत्र खेमराम जाति जाट	1 / 5	111	0.8802	बा.दो.
मांगाराम पुत्र खेमराम जाति जाट	1 / 5	111 / 2	0.3237	बा.दो.
धूडीदेवी पत्नी खेमराम जाति जाट सा. देह	1 / 5	547	3.8566	बा.दो.
		228	2.2549	बा.सो.
दिलीप पुत्र नरसिंगाराम जाति जाट	1 / 15	242	0.0081	गै.मु.बेरा
		243	0.1457	गै.मु.ढाणी
प्रकाश पुत्र नरसिंगाराम जाति जाट	1 / 15	244	2.7800	बा.दो.
		244	0.7300	बा.दो.
तुलछी देवी पत्नी नरसिंगाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	1 / 15	244	3.8063	बा.दो.
		244 / 2	0.5180	बा.दो.
		244 / 6	1.0190	बा.दो.

किता 12 रकबा 16.8872 हैक्टेयर				
अणसी पुत्री प्रभुराम जाति जाट सा. देह रहन बीसीसीबी गुडामालानी रहन ख.सं. 111 एसबीबीजे गुडामालानी	1/4			
खेतु पुत्री प्रभुराम जाति जाट सा. देह खातेदार	1/4	111	1.2038	बा.दो.
हनुमान पुत्र घमंडाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	1/4	229	2.4250	बा.दो.
पूनी पुत्री भीयाराम जाति जाट सा. बावतलाई चोहटन खातेदार	1/8	229	9.0592	बा.दो.
सुआ पुत्री भीयाराम जाति जाट सा. बावतलाई चोहटन खातेदार	1/8			
किता 03 रकबा 12.6880 हैक्टेयर				
अणसी पुत्री प्रभुराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन बीसीसीबी गुडामालानी	1/4			
खेतु पुत्री प्रभुराम जाति जाट सा. देह खातेदार	1/4			
वाली पत्नी प्रभुराम जाति जाट सा. देह खातेदार	1/4	612	3.3455	बा.दो.
पूनी पुत्री भीयाराम जाति जाट सा. बावतलाई चौहटन खातेदार	1/8	228	0.2888	बा.सो.
सुआ पुत्री भीयाराम जाति जाट सा. बावतलाई चौहटन खातेदार	1/8			
किता 02 रकबा 3.6343 हैक्टेयर				
किशनाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	पूर्ण	228	1.5759	बा.सो.
किता 01 रकबा 1.5759 हैक्टेयर				
दाना पुत्र मोडाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	1/6			
चूनाराम पुत्र मोडाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	1/6			
पांचाराम पुत्र मोडाराम जाति जाट सा. देह	1/6	228	3.1516	बा.सो.
भेरा पुत्र घमंडा	1/6			
भारु पुत्र घमंडा	1/6			
रुखमो पत्नी घमंडा जाति जाट सा. देह खातेदार	1/6			
किता 01 रकबा 3.1516 हैक्टेयर				
उदाराम पुत्र मानाराम	1/12	547	2.9340	

गेनाराम पुत्र मानाराम	1/12			
लूम्बाराम पुत्र मानाराम	1/12			
हीराराम पुत्र मानाराम	1/12			
भेराराम पुत्र घमंडाराम	1/9			
भारूराम पुत्र घमंडाराम	1/9			
रूखमों पत्नी घमंडाराम	1/9			
कमला पत्नी भेराराम	10/181			
चूनाराम पुत्र मोडाराम	151/1629			
दानाराम पुत्र मोडाराम	151/1629			
पांचाराम पुत्र मोडाराम सा. देह खातेदार	151/1629			
किता 01 रकबा 2.9340 हैक्टेयर				
ग्राम पीपराली मूल खाता 72 बदस्तूर		612	0.0485	रास्ता
ग्राम माछरों की ढाणी मूल खाता 59 बदस्तूर		229	0.500	रास्ता
		244	0.1493	
		244	0.3967	
		247	0.0510	
किता 04 रकबा 1.0970 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

सत्यमेव जयते

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर